उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (सवाई माधोपुर)

मु0न0:– 12/18 ता0रज्जू:– 11.06.2018 निर्णय दिनांक :–02.09.2020

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र भैरूलाल जाति कोली निवासी ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर वादी

वनाम

1. किशनलाल पुत्र गणेश उम्र 50 वर्ष जाति खटीक निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. सीता पुत्री सुखदेवा पत्नी पप्पू उम्र 50 वर्ष जाति खटीक निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार जी तहसील चौथ का बरवाडा ।

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से एडवोकेट दिनेश पारीक

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एड0 हरिसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एड0 हंसराज यादव

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 एल0आर0एक्ट0

–: निर्णय :–

1 वादी की ओर से एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 एलआरएक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी ग्राम शिवाड का रहने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति है।

2 वादी की खातेदारी की आराजीयात ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ बी तहसील चौथ का बरवाडा में खसरा नंबर 4821 रकवा 0.0100 है0 किस्म गै.मु.चाह खसरा नंबर 4822 रकवा 0.70 है0 किस्म चाही 3 खसरा नंबर 4833 रकवा 0.25 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4834 रकवा 0.26 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4835 रकवा 0.55 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.77 है0 स्थित है। यह आराजीयात वादी ने जरिये विकय पत्र खरीद की थी। इसलिये वादी 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार है जिसमें वादी बिना रोक टोक के काश्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्से का खातेदार है एवं प्रतिवादी संख्या 2 भी 1/4 हिस्से की खातेदार है।

3 वादी द्वारा दिनांक 25.11.17 को प्रतिवादी गण से तहसील चौथ का बरवाडा चलकर आपसी सहमति सेतकासमा करने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। अतः वादी ने माननीय न्यायालय में निश्चित कोर्ट फीस के साथ अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण से पृथक करवाने(तकासमा करवाने) हेतु वाद दायर कर निवेदन किया है वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस प्रकार डिकी फरमाया जावे कि :–

(अ) आराजीयात खसरा नंबर 4821 रकवा 0.0100 है0 किस्म गै.मु.चाह खसरा नंबर 4822 रकवा 0.70 है0 किस्म चाही 3 खसरा नंबर 4833 रकवा 0.25 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4834 रकबा 0.26 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4835 रकबा 0.55 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम शिवाड हल्का शिवाड़ बी तहसील चौथ का बरवाडा का

उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

विधिवत तकासमा किया जाकर वादी के हिस्से में 1/2 भाग एवं प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से के 1/4 हिस्से की खातेदारी पृथक–पृथक दर्ज फरमाई जाकर नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक अंकन फरमाये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। वादी की ओर से एड0 दिनेश पारीक ने वकालातनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एड0 हरिसिंह ने वकालातनामा पेश किया। दिनांक 26.06.2018 को ग्राम शिवाड में आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने लोक अदालत की भावना से प्रकरण के निस्तारण करने हेतु सहमति से ग्राम शिवाड़ में स्थित अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4821 रकबा 0.0100 है0 किस्म गै.मु.चाह खसरा नंबर 4822 रकबा 0.70 है0 किस्म चाही 3 खसरा नंबर 4833 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4834 रकबा 0.26 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4835 रकबा 0.55 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.77 है0 का बंटवारा करने का निवेदन किया।

5. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकरं रिकॉर्ड एवं मौका अनुसार सहमति से तकासमा स्कीम तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी की सहायता से तैयार करवाकर सहमति से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की, जो दोनों पक्षकारों ने पढ समझकर बिना किसी दबाव के सहमति से स्वीकार करने एवं सहमति स्वरूप ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करने के आधार पर तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से बाबत कथन किया कि वो ही मौके पर उसको काश्त करता है एवं सार संभाल करता है अतः वो ही मौके पर उसको काश्त करता है। अतः वो ही प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधि समझा जाते हुए सहमति के बंटवारेनामें अनुसार वाद निर्णित कर दिया जावे। किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 उक्त आराजियात में सहखातेदार है अतः उसकी सहमति उक्त बंटवारे नामें पर होना आवश्यक होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 को न्यायालय में प्रस्तुत होने पर ही उक्त तकासमा स्कीम के अनुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिनांक 26.06.2018 को ग्राम शिवाड में आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में दिये गये।

6. दिनांक 25.08.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एड0 हंसराज यादव ने वकालातनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर आदेशिका दिनांक 26.06.2018 के अनुसार अपनी सहमति प्रदान की तथा तकासमा स्कीम दिनांक 26.06.2018 के संबन्ध में अपनी सहमति प्रदान की। प्रतिवादी संख्या 2 ने सहमति स्वरूप मेरे समक्ष ऑर्डरशीट एवं तकासमा स्कीम पर बिना किसी के दबाव के हस्ताक्षर किये। जिसे प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया गया।

7. पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी एवं प्रतिवादीगणों द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण का निस्तारण करन में अपनी सहमति दी है एवं तहसीलदार, भू.अ.निरी. एवं पटवारी की सहायता से तैयार की गई तकासमा स्कीम जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये है, के अनुसार ग्राम शिवाड में स्थित आराजीयात खसरा नंबर 4821 रकबा 0.0100 है0 किस्म गै.मु.चाह खसरा नंबर 4822 रकबा 0.70 है0 किस्म चाही 3 खसरा नंबर 4833 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4834 रकबा 0.26 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4835 रकबा 0.55 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.77 है0 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने–अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करना उचित समझते है।

–:आदेश:–

8. तहसीलदार चौथ का बरवाडा, भू.अ.निरी. एवं पटवारी द्वारा प्राप्त तकासमा स्कीम जिसमें सभी सहखातेदारों की सहमति है के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार ग्राम शिवाड में स्थित आराजीयात खसरा नंबर 4821 रकबा 0.0100 है0

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

किस्म गै.मु.चाह खसरा नंवर 4822 रकबा 0.70 है0 किस्म चाही 3 खसरा नंवर 4833 रकवा 0.25 है0 किस्म वारानी 1 खसरा नंवर 4834 रकवा 0.26 है0 किस्म वारानी 1 खसरा नंवर 4835 रकबा 0.55 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 5 कुल रकवा 1.77 है0 का तकासमा करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त आराजीयात में तकासमा स्कीम अनुसार वादी का हिस्से 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्से 1/4 के अनुसार पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करते हुए, नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तहरीर जारी हो। अंतिम डिक्री पृथक से जारी की जावे।

पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

ग्राम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान चौथ का बरवाडा

1. गोपाल पुत्र भैरूलाल जाति कौली निवासी ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. किशनलाल पुत्र गणेश उम्र 50 वर्ष जाति खटीक निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. सीता पुत्री सुखदेवा पत्नी पप्पू उम्र 50 वर्ष जाति खटीक निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार जी तहसील चौथ का बरवाडा

नम्बर मुकदमा 12 सन् 2018

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 एल0आर0एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री दिनेश पारीक एड0 और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एड0 हरिसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एड0 हंसराज यादव इस वाद के आज तारीख 02.09.2020 को श्री दामोदर सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया है और डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा, भू.अ.निरी. एवं पटवारी द्वारा प्राप्त तकासमा स्कीम जिसमें सभी सहखातेदारों की सहमति है के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार ग्राम शिवाड में स्थित आराजीयात खसरा नंबर 4821 रकबा 0.0100 है0 किस्म गै.मु.चाह खसरा नंबर 4822 रकबा 0.70 है0 किस्म चाही 3 खसरा नंबर 4833 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4834 रकबा 0.26 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नंबर 4835 रकबा 0.55 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.77 है0 का तकासमा करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त आराजीयात में तकासमा स्कीम अनुसार वादी का हिस्से 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्से 1/4 के अनुसार पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करते हुए, नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

और इस वाद के खर्चे लेखें ' रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ' प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ' द्वारा ' को दी जाए। यह आज तारीख 02.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

न्यायाधीश
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शास्ति पद के लिए स्टाम्प	00	
2	शास्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	01	00			
	जोड	03	00	जोड	00	00

Scanned with CamScanner